अनुदान संख्या 49 – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
GRANT No. 49 - ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*1,00*	*99*	*-1*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3736,68,00	3890,86,00	3884,49,22	-6,36,78
पूरक	Supplementary	154,18,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	526,59,00	942,72,00	906,56,12	-36,15,88
पूरक	Supplementary	416,13,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				34,34,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	1033.00			
पू.	S.	1.00	1257.07	1248.83	-8.24
पु.	R.	223.07			
मुख्य शीर्ष "2044"	Major Head "2044"				
संघ राज्य क्षेत्र वस्तु तथा सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	Collection Charges under Union Territory Goods and Services Tax				
पू.	S.	1.00	119.00	117.92	-1.08
पु.	R.	118.00			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	26054.00	28098.18	28091.15	-7.03
पु.	R.	2044.18			
मुख्य शीर्ष "2056"	Major Head "2056"				
जेलें	Jails				
मू.	O.	933.00	797.18	798.26	+1.08
पु.	R.	-135.82			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	14031.00	14436.37	14442.99	+6.62
पु.	R.	405.37			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	8606.00	8386.64	8378.51	-8.13
पु.	R.	-219.36			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	51234.00	53985.24	53858.74	-126.50
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	2750.24			
मुख्य शीर्ष "2203"	Major Head "2203"				
तकनीकी शिक्षा	Technical Education				
मू.	O.	1858.00	2008.76	2004.27	-4.49
पु.	R.	150.76			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2204" खेल और युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services				
मू.	O.	578.00	692.27	685.41	-6.86
पु.	R.	114.27			
मुख्य शीर्ष "2205" कला तथा संस्कृति	Major Head "2205" Art and Culture				
मू.	O.	682.00	562.01	557.19	-4.82
पु.	R.	-119.99			
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	29974.00	28370.79	28340.82	-29.97
पु.	R.	-1603.21			
मुख्य शीर्ष "2215" जलापूर्ति और स्वच्छता	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	4072.00	4707.15	4707.14	-0.01
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	634.15			
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	2453.00	2933.00	2932.83	-0.17
पु.	R.	480.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2217"	Major Head "2217"				
शहरी विकास	Urban Development				
मू.	O.	3316.00			
पू.	S.	10000.00	12318.24	12317.42	-0.82
पु.	R.	-997.76			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	7273.00			
पू.	S.	1.00	7547.35	7532.05	-15.30
पु.	R.	273.35			
मुख्य शीर्ष "2245"	Major Head "2245"				
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	Relief on Account of Natural Calamities				
मू.	O.	447.00			
			617.18	609.04	-8.14
पु.	R.	170.18			
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"				
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandary				
मू.	O.	4311.00			
			3763.05	3719.43	-43.62
पु.	R.	-547.95			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2403"	Major Head "2403"				
पशुपालन	Animal Husbandary				
मू.	O.	4017.00	3648.21	3613.31	-34.90
पु.	R.	-368.79			
मुख्य शीर्ष "2406"	Major Head "2406"				
वानिकी तथा वन्य जीव	Forestry and Wild Life				
मू.	O.	20823.00	22446.19	22458.02	+11.83
पु.	R.	1623.19			
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण तथा भांडागृह	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	3866.00	1750.00	1754.26	+4.26
पु.	R.	-2116.00			
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	8339.00	8772.34	8756.25	-16.09
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	432.34			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
विद्युत	Power				
मू.	O.	61904.00	58993.45	58926.41	-67.04
पु.	R.	-2910.55			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3051"	Major Head "3051"				
पत्तन तथा प्रकाश स्तम्भ	Ports and Light Houses				
मू.	O.	14165.00	14821.20	14741.76	-79.44
पु.	R.	656.20			
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
पोत परिवहन	Shipping				
मू.	O.	43795.00	43488.00	43452.87	-35.13
पु.	R.	-307.00			
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागरिक विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	11539.00	9633.00	9631.75	-1.25
पु.	R.	-1906.00			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	11524.00			
पू.	S.	1.00	11942.21	11937.92	-4.29
पु.	R.	417.21			
मुख्य शीर्ष "3055"	Major Head "3055"				
सड़क परिवहन	Road Transport				
मू.	O.	5803.00	5716.63	5700.06	-16.57
पु.	R.	-86.37			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "3225"	Major Head "3225"					
दूरसंचार सेवाएं	Telecommunication Services					
मू.	O.	9500.00				
पू.	S.	5409.00		15195.00	15195.00	..
पु.	R.	286.00				

(I) ₹639.30 लाख का प्रावधान सत्ताइस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹200.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2801" – "पनबिजली उत्पादन – उचंत – स्टॉक की खरीद" के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र के लिए विशिष्ट अधिप्राप्ति न मिलने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹639.30 lakhs remained wholly unutilised under twenty seven heads; of these ₹200.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2801" - "Hydel Generation - Suspense - Purchase of Stock" - due to non-receipt of specific procurement for power sector.

(II) मुख्य शीर्ष "2056" – "निदेशन एवं प्रशासन – जेल स्थापना" के अंतर्गत ₹134.74 लाख की बचत (₹933.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जेल में कैदियों की घटती संख्या तथा किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2056" - "Direction and Administration - Jail Establishment" - saving of ₹134.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹933.00 lakhs) was due to reduced number of inmates in the prison and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – उचंत – स्टॉक" के अंतर्गत ₹350.06 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमेंट की खरीद के लिए निविदा रद्द किए जाने तथा बिटुमेन की अधिप्राप्ति न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2059" - "General - Suspense - Stock" - saving of ₹350.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to cancellation of tender for purchase of cement and non-procurement of bitumen.

(IV) मुख्य शीर्ष "2070" – "परिवहन की खरीद तथा अनुरक्षण – मरम्मत और अनुरक्षण" – के अंतर्गत ₹297.58 लाख की बचत (₹2096.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) Under Major Head "2070" - "Purchase and Maintenance of Transport - Repairs and Maintenance" - saving of ₹297.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2096.50 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "3055" – "सरकारी परिवहन सेवाएं – मरम्मत तथा अनुरक्षण" – के अंतर्गत ₹195.21 लाख की बचत (₹1050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(V) Under Major Head "3055" - "Government Transport Services - Repairs and Maintenance"- saving of ₹195.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1050.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें नैमित्तिक कर्मचारियों की कम तैनाती, परिवहन विभाग को मजदूरी के 1/30 हिस्से का भुगतान न किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2202" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई:–

(का) "माध्यमिक शिक्षा – सरकारी माध्यमिक विद्यालय – विज्ञान शिक्षा" – ₹120.11 लाख की बचत (₹290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामुदायिक सूचना केंद्रों के संचालन के लिए दावा प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा – सरकारी कॉलेज और संस्थान – जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्टब्लेयर" – ₹204.89 लाख (₹2323.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्याख्याता/प्रोफेसरों के लिए यूजीसी वेतनमान का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "2205" – "कला तथा संस्कृति को संवर्द्धन – अन्य स्कीमें" के अंतर्गत ₹124.39 लाख की बचत (₹397.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं से आवेदन प्राप्त न होने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और संस्थाओं में पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष "2210" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :–

(का) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान – एलोपैथी – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सोसाइटी" – ₹2500.00 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थाओं से उपयोग प्रमाणपत्र/लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "लोक स्वास्थ्य – खाद्य मिलावट निवारण – पीएफए अधिनियम का प्रवर्तन" – ₹115.57 लाख की बचत (₹362.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

Savings under the above two heads were due to less engagement of casual workers, non-payment of arrears of 1/30th of wages to transport department.

(VI) Under Major Head "2202" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secondary Education - Government Secondary Schools - Science Education" - saving of ₹120.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹290.00 lakhs) was due to non-receipt of claim towards operation on community information centres.

(B) "University Higher Education - Government Colleges and Institutes - Jawaharlal Nehru Rajkeya Mahavidyalaya, Port Blair" - saving of ₹204.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2323.90 lakhs) was due to non-implementation of UGC scale for Lecturers/Professors.

(VII) Under Major Head "2205" - "Promotion of Art and Culture - Other Schemes" - saving of ₹124.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹397.70 lakhs) was due to non-receipt of application from grantee institutions, non-receipt of utilization certificates and availability of unspent balance of the previous years with the institutions.

(VIII) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Medical Education, Training and Research - Allopathy - Andaman and Nicobar Islands Medical Education and Research Society" - saving of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates/audited statements from the institutions.

(B) "Public Health - Prevention of Food Adulteration - Enforcement of PFA Act" - saving of ₹115.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹362.90 lakhs);

(IX) मुख्य शीर्ष "2403" – "गाय तथा भैंस विकास – गाय तथा भैंस विकास कार्यक्रम" – के अंतर्गत ₹152.56 लाख की बचत (₹752.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(IX) Under Major Head "2403" - "Cattle and Buffalo Development - Cattle and Buffalo Development Programme" - saving of ₹152.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹752.20 lakhs); and

(X) मुख्य शीर्ष "3051" – "लघु पत्तन – स्टीविडोरिंग – अंडमान लेबर फोर्स" – के अंतर्गत ₹128.18 लाख की बचत (₹1494.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(X) Under Major Head "3051" - "Minor Ports - Stevedoring - Andaman Labour Force" - saving of ₹128.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1494.50 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने तथा छुट्टी यात्रा रियायत/वार्षिक मुफ्त समुद्र मार्ग दावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims towards leave travel concession/annual free sea passage.

(XI) मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – नगर पालिकाओं/नगरपालिका परिषदों को सहायता – पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद" के अंतर्गत ₹1000.00 लाख की बचत (₹3200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

(XI) Under Major Head "2217" - "General - Assistance to Municipalities/Municipal Councils - Port Blair Municipal Council" - saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3200.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificate from Port Blair Municipal Council and availability of unspent balance of previous years.

(XII) मुख्य शीर्ष "2401" – "खाद तथा उर्वरक – उर्वरक का वितरण" – के अंतर्गत ₹364.24 लाख की बचत (₹656.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार द्वारा मूवमेंट आपूर्ति योजना में रासायनिक उर्वरक की अधिप्राप्ति को न जोड़े जाने तथा सहायिकी के लिए लाभार्थियों से आवेदन न मिलने के कारण हुई।

(XII) Under Major Head "2401" - "Manures and Fertilisers - Distribution of Fertilisers" - saving of ₹364.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹656.00 lakhs) was due to non-addition in the Movement Supply Plan by Government of India for procurement of chemical fertilizers and non receipt of applications from the beneficiaries for subsidies.

(XIII) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – आपूर्ति की अधिप्राप्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं :–

(XIII) Under Major Head "2408" - "Food - Procurement and Supply" - savings occurred under the following heads:-

(का) "चावल की खरीद" – ₹188.28 लाख की बचत (₹1565.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(A) "Purchase of Rice" - saving of ₹188.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1565.00 lakhs); and

(खा) "गेहूँ की खरीद" – ₹161.39 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(B) "Purchase of Wheat" - saving of ₹161.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें चावल/गेहूँ के विभागीय अग्रिम भुगतान के समायोजन/भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्धता के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to adjustment of departmental advance paid/available with Food Corporation of India for rice/wheat.

(गा) "चीनी की खरीद" – ₹1761.07 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को चीनी की आपूर्ति बंद किए जाने के कारण हुई।

(C) "Purchase of Sugar" - saving of ₹1761.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to stoppage of supply of sugar in respect of APL category consumers.

(XIV) मुख्य शीर्ष "2515" – "जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता – जिला परिषद" – के अंतर्गत ₹180.33 लाख की बचत (मार्च, 2018 में प्राप्त ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1313.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा आवेदन न मिलने के कारण हुई।

(XIV) Under Major Head "2515" - "Assistance to Zila Parishad/District Level Panchayat - Zilla Parishad" - saving of ₹180.33 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1313.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in March, 2018) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of applications.

(XV) मुख्य शीर्ष "2801" – "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(XV) Under Major Head "2801" - "Diesel/Gas Power Generation" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – बिजली की खरीद" – ₹1676.48 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वतंत्र विद्युत परियोजना को बंद किए जाने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - Purchase of Power" - saving of ₹1676.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to shut down of Independent power project.

(खा) "चैथम पावर हाउस – विद्युत संयंत्र और अनुषंगी कार्य" – ₹388.17 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(B) "Power House at Chatham - Power Plant and Ancillary works" - saving of ₹388.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs); and

(गा) "अन्य पावर हाउस – विद्युत संयंत्र और अनुषंगी कार्य" – ₹1309.65 लाख की बचत (₹33728.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(C) "Other Power Houses - Power Plant and Ancillary Works" - saving of ₹1309.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33728.20 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें डीजी सेटों के संचालन के लिए उच्च गति डीजल की कम खपत तथा किफायत उपाय किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less consumption of High Speed Diesel for running DG sets and austerity measures.

(XVI) मुख्य शीर्ष "3052" – "तटीय पोत परिवहन – पोत परिवहन सेवाएं – अंतर–द्वीप जहाजों का प्रचालन प्रभार" – ₹500.31 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पोतों के कम प्रचालन तथा किफायत उपाय किए जाने के कारण हुई।

(XVI) Under Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Operational Charges of Mainland-Islands Vessels" - saving of ₹500.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was due to less operation of vessels and economy measures.

(XVII) मुख्य शीर्ष "3053" – "वायु सेवाएं – अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(XVII) Under Major Head "3053" - "Air Services - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) "वायुयान का प्रचालन तथा अनुरक्षण" – ₹698.03 लाख की बचत (₹5839.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम चार्टर्ड उड़ानों के परिचालन के कारण हुई।

(A) "Operation and Maintenance of Air Craft" - saving of ₹698.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5839.00 lakhs) was due to operation of less chartered flights.

(खा) "पोर्ट ब्लेयर – चेन्नई/कोलकाता सेक्टर के बीच परिचालन के लिए पट्टा आधार पर विमान का अधिग्रहण" – ₹1208.90 लाख की बचत (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भा.वा.से. डोर्नियर से संबंधित बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Acquisition of Aircraft on Lease basis for operating between Port Blair-Chennai/Kolkata sector" - saving of ₹1208.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs) was due to non-receipt of bills pertaining to IAF Dornier.

(XVIII) मुख्य शीर्ष "3054" – "जिला तथा अन्य सड़कें – ब्लॉक पंचायतों को सहायता – पंचायत समिति" के अंतर्गत ₹184.09 लाख की बचत (₹1165.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थाओं से उपयोग प्रमाणपत्र/लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त के कारण हुई।

(XVIII) Under Major Head "3054" - "District and Other Roads - Assistance to Block Panchayats - Panchayat Samiti" - saving of ₹184.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1165.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates/audited statements from the institutions.

(XIX) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹520.77 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक तथा ₹100.00 लाख से कम नहीं तथा स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 47 प्रतिशत तक थीं।

(XIX) Under six heads savings of ₹520.77 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 12 percent to 47 percent of the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1312.50 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मार्च, 2018 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹7.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹1312.50 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹7.00 lakhs in March, 2018 under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह” – ₹223.07 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹214.83 लाख था।

(A) Major Head “3451” - “Secretariat - Andaman and Nicobar Islands” - ₹223.07 lakhs. Actual excess, however, was ₹214.83 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “2044” – “निदेशन और प्रशासन – अंडमान और निकोबार द्वीप समूह” – ₹118.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹116.92 लाख था।

(B) Major Head “2044” - “Direction and Administration - Andaman and Nicobar Islands” - ₹118.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹116.92 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष “2215” – “मल निकासी और स्वच्छता – ग्राम पंचायत को सहायता – पंचायतें” – ₹99.00 लाख।

(C) Major Head “2215” - “Sewerage and Sanitation - Assistance to Gram Panchayat - Panchayats” - ₹99.00 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष “2235” – “सामाजिक कल्याण – महिला कल्याण – एसडब्ल्यूएबी को सहायता अनुदान” – ₹74.00 लाख।

(D) Major Head “2235” - Social Welfare - Women’s Welfare - Grant-in-aid to SWAB” - ₹74.00 lakhs.

(ङ) मुख्य शीर्ष “2515” –

(क) “पंचायती राज – पंचायती राज प्रशासन का सुदृढ़ीकरण” – ₹146.40 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹144.50 लाख था।

(ख) “ग्राम पंचायत को सहायता – ग्राम पंचायत को सहयोग” – ₹199.75 लाख।

(E) Major Head “2515” -

(a) “Panchayati Raj - Strengthening of Panchayati Raj Administration” - ₹146.40 lakhs. Actual excess, however, was ₹144.50 lakhs.

(b) “Assistance to Gram Panchayat - Aids to Gram Panchayat” - ₹199.75 lakhs.

(चा) मुख्य शीर्ष “2851” – “लघु स्तरीय उद्योग – अवसंरचना सहायता” – ₹54.09 लाख।

(F) Major Head “2851” - “Small Scale Industries - Infrastructural Support” - ₹54.09 lakhs.

(छा) मुख्य शीर्ष “3054” – “जिला तथा अन्य सड़कें” –

(क) “नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता – पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद” – ₹72.50 लाख।

(ख) “जिला परिषद/जिला स्तर की पंचायत को सहायता – जिला पंचायत” – ₹325.69 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹324.20 लाख था।

(G) Major Head “3054” - “District and Other Roads” -

(a) “Assistance to Municipalities/Municipal Councils - Port Blair Municipal Council” - ₹72.50 lakhs.

(b) “Assistance to Zila Parishad/District Level Panchayat - Zilla Parishad” - ₹325.69 lakhs. Actual excess, however, was ₹324.20 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं थीं :–

(का) मुख्य शीर्ष “2055” –

(क) “विशेष पुलिस” –

(i) “सशस्त्र पुलिस” – ₹129.25 लाख का अधिक व्यय (₹1918.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामानों, हिस्से–पुर्जों की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, लंबित दावों के समाशोधन और यात्रा भत्ते के बिलों के निपटान के कारण हुआ।

(ii) “भारतीय रिजर्व बटालियन” – ₹398.29 लाख का अधिक व्यय (₹5323.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) “पुलिस बल का आधुनिकीकरण – पुलिस मोटर परिवहन” – ₹354.57 लाख का अधिक व्यय (₹291.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वित्तीय अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन तथा आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ग) “जिला पुलिस – जिला पुलिस स्थापना” – ₹1025.55 लाख का अधिक व्यय (₹13806.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुलिस तथा वन विभाग के लिए शस्त्रात्रों और एम्यूनिशन की अधिप्राप्ति तथा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वित्तीय अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन तथा आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head “2055” -

(a) “Special Police” -

(i) “Armed Police” - excess of ₹129.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1918.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of stores, spares, clearance of pending claims and settlement of travelling allowance bills.

(ii) “India Reserve Battalion” - excess of ₹398.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5323.10 lakhs); and

(b) “Modernisation of Police Force - Police Motor Transport” - excess of ₹354.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹291.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards implementation of 7th Central Pay Commission financial upgradation and modified assured career progression scheme arrears.

(c) “District Police - District Police Establishment” - excess of ₹1025.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13806.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of arms and ammunitions for Police and Forest Department and implementation of 7th Central Pay Commission financial upgradation and modified assured career progression scheme arrears.

(खा) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – निष्पादन" – ₹383.33 लाख का अधिक व्यय (₹6874.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वित्तीय अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन तथा आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों और चिकित्सा दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "अनुरक्षण और मरम्मत – भवन" – ₹264.93 लाख का अधिक व्यय (₹1135.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "प्रारंभिक शिक्षा" –

(i) "राजकीय प्राथमिक विद्यालय" –

(1) "प्राथमिक शिक्षा" – ₹1910.94 लाख का अधिक व्यय (₹25305.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वित्तीय अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन तथा आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों, चिकित्सा बिलों के निपटान तथा किए गए अधिक दौरों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(2) "मध्याह्न भोजन" – ₹222.45 लाख का अधिक व्यय (₹520.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मध्याह्न भोजन के लिए पोषक आहार

(B) Major Head "2059" - "General" -

(a) "Direction and Administration - Execution" - excess of ₹383.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6874.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 7th Central Pay Commission financial upgradation and modified assured career progression scheme arrears and settlement of medical claims.

(b) "Maintenance and Repairs - Buildings" - excess of ₹264.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1135.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards maintenance and repairs of buildings.

(C) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education"-

(i) "Government Primary Schools" -

(1) "Primary Education" - excess of ₹1910.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25305.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 7th Central Pay Commission financial upgradation and modified assured career progression scheme arrears, settlement of medical bills and more tours undertaken.

(2) "Mid Day Meals" - excess of ₹222.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹520.00 lakhs) was due to requirement of

की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अन्य स्कीमें" – ₹345.36 लाख का अधिक व्यय (₹1998.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "माध्यमिक शिक्षा" –

(i) "राजकीय माध्यमिक विद्यालय – माध्यमिक विद्यालय" – ₹432.97 लाख का अधिक व्यय (₹13984.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ii) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अन्य स्कीमें" – ₹190.93 लाख का अधिक व्यय (₹1372.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(घा) मुख्य शीर्ष "2801" –

(क) "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन – फोनिक्स बे स्थित बिजलीघर – विद्युत संयत्र और अनुषंगी कार्य" – ₹107.51 लाख का अधिक व्यय (₹1425.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "संचरण तथा वितरण – पोर्ट ब्लेयर में संचरण तथा वितरण – बिजली वितरण" – ₹419.75 लाख का अधिक व्यय (₹3291.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ड.) मुख्य शीर्ष "3052" – "तटीय पोत परिवहन – पोत परिवहन सेवाएं – स्थापना" – ₹185.55 लाख का अधिक व्यय (₹1575.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वित्तीय अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन तथा

additional funds towards supplement to mid day meals.

(ii) "Tribal Area Sub-Plan -Other Schemes" - excess of ₹345.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1998.00 lakhs);

(b) "Secondary Education" -

(i) "Government Secondary Schools - Secondary Schools" - excess of ₹432.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13984.30 lakhs);

(ii) "Tribal Area Sub-Plan - "Other Schemes" - excess of ₹190.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1372.50 lakhs);

(D) Major Head "2801" -

(a) "Diesel/Gas Power Generation - Power House at Phoniex Bay - Power Plant and Ancillary Works" - excess of ₹107.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1425.20 lakhs);

(b) "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution at Port Blair - Power Distribution" - excess of ₹419.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3291.00 lakhs); and

(E) Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Establishment" - excess of ₹185.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1575.00 lakhs).

Excess under the above six heads were due to requirement of additional funds towards

आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(चा) मुख्य शीर्ष "2203" – "पॉलीटेक्निक – पोर्ट ब्लेयर स्थित पॉलीटेक्निक" – ₹146.27 लाख का अधिक व्यय (₹1858.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिजली, पानी, लेखन सामग्री, टेलीफोन प्रभार तथा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वित्तीय अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन तथा आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(छा) मुख्य शीर्ष "2204" – "खेल और क्रीडा – खेल और क्रीडा कार्यक्रम" – ₹110.79 लाख का अधिक व्यय (₹387.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मेधावी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार का भुगतान करने तथा अन्य आकस्मिक व्यय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(जा) मुख्य शीर्ष "2210" –

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी" –

(i) "निदेशन और प्रशासन – स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय" – ₹154.09 लाख का अधिक व्यय (₹3320.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वित्तीय अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन तथा आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों और चिकित्सा दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) "अस्पताल तथा औषधालय – जी.बी. पंत अस्पताल" – ₹196.31 लाख का अधिक व्यय (₹8256.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दवाईयों की खरीद, लंबित दावों के समाशोधन और बिजली/पानी/लेखन सामग्री/टेलीफोन प्रभारों के निपटान

implementation of 7th Central Pay Commission financial upgradation and modified assured career progression scheme arrears.

(F) Major Head "2203" - "Polytechnics - Polytechnics at Port Blair" - excess of ₹146.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1858.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards electricity, water, stationery, telephone charges and implementation of 7th Central Pay Commission financial upgradation and modified assured career progression scheme arrears.

(G) Major Head "2204" - "Sports and Games - Sports and Games Programme" - excess of ₹110.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹387.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for payment of cash awards to meritorious sportsperson and other contingent expenses.

(H) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services - Allopathy" -

(i) "Direction and Administration - Directorate of Health Services" - excess of ₹154.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3320.30 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 7th Central Pay Commission financial upgradation, modified assured career progression scheme arrears and settlement of medical claims.

(ii) "Hospitals and Dispensaries - G.B. Pant Hospital" - excess of ₹196.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8256.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of medicines,

के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं" –

(i) "प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र – प्राथमिक स्वास्थ्य स्कीम" – ₹209.56 लाख का अधिक व्यय (₹5454.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) "अस्पताल तथा औषधालय – अन्य अस्पताल" – ₹223.35 लाख का अधिक व्यय (₹2382.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय दवाइयों की खरीद तथा लंबित दावों के समाशोधन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(छा) मुख्य शीर्ष "2215" – "जलापूर्ति" –

(क) "शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम – पोर्ट ब्लेयर नगर निगम क्षेत्र को जलापूर्ति कार्यक्रम" – ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (₹1052.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम – ग्रामीण पाइपर जलापूर्ति" – ₹349.99 लाख का अधिक व्यय (₹2300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय जलापूर्ति प्रणाली के अनुरक्षण तथा कामगारों को मजदूरी दिए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ज) मुख्य शीर्ष "2216" – "सामान्य पूल आवास – अनुरक्षण तथा मरम्मत – अन्य अनुरक्षण व्यय" – ₹379.86 लाख का अधिक व्यय (₹2153.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवासीय भवनों के अनुरक्षण तथा मरम्मत और

clearance of pending claims and settlement of electricity/water/ stationery/telephone charges.

(b) "Rural Health Services" -

(i) "Primary Health Centres - Primary Health Scheme" - excess of ₹209.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5454.00 lakhs); and

(ii) "Hospitals and Dispensaries - Other Hospitals" - excess of ₹223.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2382.50 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards purchase of medicines and clearance of pending claims.

(I) Major Head "2215" - "Water Supply" -

(a) "Urban Water Supply Programme - Water Supply Programme to Port Blair Municipal Area" - excess of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1052.00 lakhs); and

(b) "Rural Water Supply Programme - Rural Piper Water Supply" - excess of ₹349.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2300.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards maintenance of water supply system and wages to work charged employees.

(J) Major Head "2216" - "General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - excess of ₹379.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2153.00 lakhs)

कामगारों को मजदूरी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

was due to requirement of additional funds towards maintenance and repairs of residential buildings and wages to work charged employees.

(टा) मुख्य शीर्ष "2235" – "सामाजिक कल्याण – वृद्ध, अशक्त तथा निःसहाय व्यक्ति – कल्याण योजना" – ₹169.03 लाख का अधिक व्यय (₹3103.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वृद्धावस्था पेंशन/निःशक्तता भत्ते के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने की वजह से हुआ।

(K) Major Head "2235" - "Social Welfare - Welfare of Aged, Infirm and Destitutes - Welfare Schemes" - excess of ₹169.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3103.00 lakhs) was due to requirement of additional funds owing to increase in beneficiaries of old age pension/disability allowance.

(ठा) मुख्य शीर्ष "2245" – "बाढ़, चक्रवात आदि – निःशुल्क राहत – सुनामी प्रभावित किसानों को राहत पैकेज" – ₹132.06 लाख का अधिक व्यय (₹50.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सुनामी पीड़ितों को मुआवजे के लिए अधिक दावों की प्राप्ति होने के कारण हुआ।

(L) Major Head "2245" - "Floods, Cyclones etc. - Gratuitous Relief - Relief Package to Tsunami affected farmers" - excess of ₹132.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50.00 lakhs) was due to receipt of more claims for compensation in respect of Tsunami victims.

(डा) मुख्य शीर्ष "2406" –

(क) "वानिकी" –

(I) "निदेशन और प्रशासन – वनों के मुख्य संरक्षक" – ₹344.39 लाख का अधिक व्यय (₹1721.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वित्तीय अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन तथा आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों और न्यायालय की आज्ञप्ति के अनुपालन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ii) "वन्य संरक्षण, विकास तथा पुनरुद्भवन" –

(1) "वन विकास" – ₹240.60 लाख का अधिक व्यय (₹7607.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वित्तीय अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन तथा आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति

(M) Major Head "2406" -

(a) "Forestry" -

(i) "Direction and Administration - Chief Conservator of Forests" - excess of ₹344.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1721.50 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 7th Central Pay Commission financial upgradation and modified assured career progression scheme arrears and to compliance of court decree.

(ii) "Forest Conservation, Development and Regeneration" -

(1) "Forest Development" - excess of ₹240.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7607.75 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 7th Central

स्कीम के बकायों और वन विभाग के नियमित मजदूरों के वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

Pay Commission financial upgradation and modified assured career progression scheme arrears and wages of regular mazdoors of Forest Department.

(2) "वन का संरक्षण तथा तटीय पारिस्थितकी" – ₹120.47 लाख का अधिक व्यय (₹876.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वित्तीय अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन, मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी तथा वन विभाग के नियमित मजदूरों के वेतन और पीओएल की खपत में वृद्धि के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(2) "Protection of Forest and Coastal Eco-System" - excess of ₹120.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹876.60 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 7th Central Pay Commission financial Upgradation, revision of wage rates and wages of regular mazdoors of Forest Department and increase in consumption of POL.

(iii) "वन उत्पाद –टिंबर का परिवहन" – ₹483.71 लाख का अधिक व्यय (₹3826.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वन विभाग के नियमित मजदूरों के वेतन की दरों में बढ़ोतरी होने के कारण हुआ।

(iii) "Forest Produce - Transportation of Timber" - excess of ₹483.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3826.40 lakhs) was due to revision of rates of wages of regular mazdoors of Forest Department.

(ख) "पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव – वन्य जीव संरक्षण – वन्य जीव सुरक्षा" – ₹366.61 लाख का अधिक व्यय (₹3297.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वित्तीय अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन तथा आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों और वन विभाग के नियमित मजदूरों के वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(b) "Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Wildlife Protection" - excess of ₹366.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3297.40 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 7th Central Pay Commission financial upgradation and modified assured career progression scheme arrears and wages of regular mazdoors of Forest Department.

(ढा) मुख्य शीर्ष "2515" – "निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" – ₹139.98 लाख का अधिक व्यय (₹10.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत

(N) Major Head "2515" - "Direction and Administration - National Rural Employment Guarantee Programme" - excess of ₹139.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10.00 lakhs)

प्रशासनिक खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(णा) मुख्य शीर्ष "3051" – "लघु पत्तन" –

(क) "डॉकयार्ड और ड्राईडोकिंग – सरकारी डॉकयार्ड" – ₹105.62 लाख का अधिक व्यय (₹5037.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वित्तीय अपग्रेडेशन का कार्यान्वयन तथा आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के बकायों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) "पत्तन प्रबंधन – पत्तन स्थापना" – ₹637.07 लाख का अधिक व्यय (₹4490.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीआईएसएफ के अतिरिक्त 125 कार्मिकों की तैनाती और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वित्तीय अपग्रेडेशन के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ता) मुख्य शीर्ष "3225" – "अन्य व्यय – पूंजीगत व्यय के लिए अंशदान – उपग्रह ट्रांसपोंडर को भाड़े पर लेना" – ₹286.00 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2018 में प्राप्त ₹5409.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹14909.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाओं में सुधार के लिए उपग्रह ट्रांसपोंडरों को किराए पर लेने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(III) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹462.09 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किंतु ₹100.00 लाख से कम तथा स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

was due to requirement of additional funds towards administrative expenses under National Rural Employment Guarantee Programme.

(O) Major Head "3051" - "Minor Ports" -

(a) "Dockyard and Drydocking - Government Dockyard" - excess of ₹105.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5037.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of 7th Central Pay Commission financial upgradation and modified assured career progression scheme arrears.

(b) "Port Management - Port Establishment"- excess of ₹637.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4490.60 lakhs) was due to deployment of 125 additional CISF personnel and requirement of additional funds towards implementation of 7th Central Pay Commission financial upgradation.

(P) Major Head "3225" - "Other Expenses - Contribution towards capital expenses - Hiring of Satellite Transponder" - excess of ₹286.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14909.00 lakhs including supplementary grant of ₹5409.00 lakhs obtained in March, 2018) was due to requirement of additional funds towards hiring of satellite transponders for improving telecom and internet services in Andaman and Nicobar Islands.

(III) Under six heads excess of ₹462.09 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 70 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	1621.00	1008.30	1007.59	-0.71
पु.	R.	-612.70			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2368.00	2675.00	2670.78	-4.22
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	306.00			
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	4870.00	4119.60	4103.68	-15.92
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-751.40			
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	2485.00	2603.38	2603.28	-0.10
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	117.38			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1280.00			
पू.	S.	2.00	1837.00	1836.97	-0.03
पु.	R.	555.00			
मुख्य शीर्ष "4250"	Major Head "4250"				
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	308.00			
पू.	S.	1.00	570.83	570.83	..
पु.	R.	261.83			
मुख्य शीर्ष "4406"	Major Head "4406"				
वानिकी और वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Forestry and Wild Life				
मू.	O.	3055.00			
पू.	S.	1.00	2871.00	2819.59	-51.41
पु.	R.	-185.00			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	1144.00			
पू.	S.	1.00	1119.50	1165.13	+45.63
पु.	R.	-25.50			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "5051"	Major Head "5051"				
पत्तनों और प्रकाश स्तम्भों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	1463.00			
पू.	S.	1.00	1131.00	1128.68	-2.32
पु.	R.	-333.00			
मुख्य शीर्ष "5052"	Major Head "5052"				
पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	13945.00			
पू.	S.	41601.00	53237.00	53123.40	-113.60
पू.	R.	-2309.00			
मुख्य शीर्ष "5053"	Major Head "5053"				
नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	201.00			
पू.	S.	1.00	859.00	858.19	-0.81
पु.	R.	657.00			
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"				
सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	8360.00			
			7761.00	7760.89	-0.11
पु.	R.	-599.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5055"	Major Head "5055"				
सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	670.00	371.00	370.50	-0.50
पु.	R.	-299.00			
मुख्य शीर्ष "5452"	Major Head "5452"				
पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	856.00	748.99	714.69	-34.30
पू.	R.	-107.01			

(I) ₹172.50 लाख का प्रावधान (मार्च, 2018 में प्राप्त ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) निम्नलिखित उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹172.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in March, 2018) remained wholly unutilised under nine heads.

(II) मुख्य शीर्ष "5052" – "सामान्य – टनभार पर अर्जन और विस्तार की अधिप्राप्ति – पोतों की खरीद" ₹8715.00 लाख के मूल प्रावधान को दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹27525.90 लाख के पूरक अनुदान के द्वारा बढ़ाकर ₹36240.90 लाख किया गया जो, तथापि, 6x250 पैक्स पोतों के स्टेज कम्पलीशन में विलंब के कारण ₹2267.56 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "5052" - "General - Acquisition and Expansion on Tonnage - Purchase of Ships" - the original provision of ₹8715.00 lakhs was augmented to ₹36240.90 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹27525.90 lakhs in December, 2017 and March, 2018 which, however, remained unutilised to the extent of ₹2267.56 lakhs - due to delay in stage completion in respect of 6x 250 pax vessels.

(III) मुख्य शीर्ष "4055" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(III) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राज्य पुलिस – अन्य सिविल कार्य" – ₹145.60 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(A) "State Police - Other Civil Works" - saving of ₹145.60 lakhs (against the sanctioned provision of

में) खराब मौसमी दशाओं के कारण कार्य की धीमी प्रगति होने की वजह से हुई।

(खा) "विशेष पुलिस – भारतीय रिजर्व बटालियन" – ₹260.00 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीएसटी प्रभाव को शामिल करने के द्वारा निविदा को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण हुई।

(गा) "पुलिस आवास – निर्माण" – ₹220.02 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण सामग्री की कमी के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – मशीनरी और उपस्कर – अन्य विभाग" – के अंतर्गत ₹392.18 लाख की बचत (₹1048.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(V) मुख्य शीर्ष "4202" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "सामान्य शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा – भवन" – ₹400.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें खराब मौसमी दशाओं तथा निर्माण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण हुईं।

(खा) "तकनीकी शिक्षा – पॉलीटेक्निक – भवन" – ₹150.00 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बोलीदाताओं के भाग न लेने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "4210" – "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – अस्पताल तथा औषधालय – जिला अस्पताल" के अंतर्गत ₹200.00 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यों की मंजूरी में विलंब के कारण हुई।

₹500.00 lakhs) was due to slow progress of work owing to inclement weather conditions.

(B) "Special Police - India Reserve Battalion" - saving of ₹260.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to delay in finalization of tender by including the implication of GST.

(C) "Police Housing - Building" - saving of ₹220.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was due to shortage of construction material.

(IV) Under Major Head "4059" - "General - Machinery and Equipments - Other Departments" - saving of ₹392.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1048.00 lakhs);and

(V) Under Major Head "4202" - savings occurred under the following heads:-

(A) "General Education - Secondary Education - Buildings" - saving of ₹400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to inclement weather conditions and non-availability of construction materials.

(B) "Technical Education - Polytechnics - Buildings" - saving of ₹150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to non-participation of bidders.

(VI) Under Major Head "4210" - "Rural Health Services - Hospitals and Dispensaries - District Hospitals" - saving of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to delay in sanctioning of works.

(VII) मुख्य शीर्ष "4406" – "वानिकी" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "वन संरक्षण, विकास तथा पुनरूद्भवन – वनों का विकास" – ₹348.06 लाख की बचत (मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹931.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "वन उत्पाद – अन्य स्कीमें" – ₹129.16 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत नियमित मजदूरों की मजदूरी को 'मुख्य कार्यों' के स्थान पर 'मजदूरी' के अंतर्गत दर्ज किए जाने के कारण हुई थीं।

(VIII) मुख्य शीर्ष "4801" – "ग्रामीण विद्युतीकरण – निदेशन और प्रशासन – भवन" के अंतर्गत ₹108.01 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि की स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।

(IX) मुख्य शीर्ष "5051" – "लघु पत्तन – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – जेट्टी का निर्माण" के अंतर्गत ₹502.10 लाख की बचत (₹725.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(X) मुख्य शीर्ष "5052" – "सामान्य – अन्य व्यय – भवन" के अंतर्गत ₹150.00 लाख की बचत (₹350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसी द्वारा निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण हुई।

(XI) मुख्य शीर्ष "5054" – "राज्य राजमार्ग – सड़क निर्माण – अंडमान ट्रंक रोड के अलावा" के अंतर्गत ₹650.00 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य राजमार्ग के कुछ हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने तथा इसे एनएचआईडीसीएल को सौंपे जाने और कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "4406" - "Forestry" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Forest Conservation, Development and Regeneration - Development of Forests" - saving of ₹348.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹931.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in March, 2018); and

(B) "Forest Produce - Other Schemes" - saving of ₹129.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to the wages of regular mazdoors being booked under 'wages' instead of 'Major Works'.

(VIII) Under Major Head "4801" - "Rural Electrification - Direction and Administration - Buildings" - saving of ₹108.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to non-clearance of land.

(IX) Under Major Head "5051" - "Minor Ports - Tribal Area Sub-Plan - Construction of Jetties" - saving of ₹502.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹725.00 lakhs) was due to slow progress of work.

(X) Under Major Head "5052" - "General - Other Expenditure - Buildings" - saving of ₹150.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs) was due to delay in finalization of tender by the executing agency.

(XI) Under Major Head "5054" - "State Highways - Road Works - Other than Andaman Trunk Road" - saving of ₹650.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to declaration of some stretch of state highway as National Highway and handing over to NHIDCL and slow progress of work.

(XII) मुख्य शीर्ष "5055" – "बेड़े का अधिग्रहण – सड़क परिवहन के लिए बसों की खरीद" – ₹272.91 लाख की बचत (₹370.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जीईएम के कार्यान्वयन के कारण निविदा विनिर्देशन को अंतिम रूप देने में विलंब तथा प्रतियोगी बोली के अभाव के कारण हुई।

(XII) Under Major Head "5055" - "Acquisition of Fleet - Purchase of Buses for Road Transport" - saving of ₹272.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹370.00 lakhs) was due to delay in finalization of tender specification owing to implementation of GeM and lack of competitive bidding.

(XIII) मुख्य शीर्ष "5452" – "पर्यटक अवसंरचना – पर्यटक आवास – भवन" के अंतर्गत ₹123.33 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति और खराब मौसमी दशाओं के कारण हुई।

(XIII) Under Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation - Buildings" - saving of ₹123.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to slow progress of work and inclement weather conditions.

(XIV) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹218.42 लाख की बचतें हुईं, प्रत्येक ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु, ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत से 94 प्रतिशत थीं।

(XIV) Under three heads savings of ₹218.42 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 31 percent to 94 percent of the sanctioned provision.

4. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3148.46 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹9.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

4.(I) The above savings were partly (₹3148.46 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹9.00 lakhs in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 - under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण – सामान्य प्रशासन" – ₹694.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹693.96 लाख था।

(A) Major Head "4059" - "General - Construction - General Administration" - ₹694.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹693.96 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "4210" – "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अस्पताल तथा औषधालय – स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय" – ₹326.38 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹326.29 लाख था।

(B) Major Head "4210" - "Urban Health Services - Hospitals and Dispensaries - Directorate of Health Services" - ₹326.38 lakhs. Actual excess, however, was ₹326.29 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – भवन" – ₹555.00 लाख।

(C) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Tribal Area Sub-Plan - Building" - ₹555.00 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष "4250" – "प्राकृतिक आपदाएं – आपदाओं के प्रबंधन में तैयारियां बढ़ाना" – ₹241.83 लाख।

(D) Major Head "4250" - "Natural Calamities - Enhancing Preparedness in Managing Disasters" - ₹241.83 lakhs.

(ङ) मुख्य शीर्ष “4406” – “पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव – वन्य जीव – भवन” – ₹274.75 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹275.30 लाख था।

(E) Major Head “4406” - “Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife - Buildings” - ₹274.75 lakhs. Actual excess, however, was ₹275.30 lakhs.

(चा) मुख्य शीर्ष “4801” – “डीजल/गैस विद्युत उत्पादन – अन्य बिजलीघर – विद्युत संयंत्र तथा अनुषंगी कार्य” – ₹182.50 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹181.98 लाख था।

(F) Major Head “4801” - “Diesel/Gas Power Generation - Other Power Houses - Power Plant and Ancilllary Works” - ₹182.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹181.98 lakhs.

(छा) मुख्य शीर्ष “5051” – “लघु पत्तन – अन्य छोटे पत्तन – जेट्टी का निर्माण” – ₹167.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹166.99 लाख था।

(G) Major Head “5051” - “Minor Ports - Other Small Ports - Construction of Jetties” - ₹167.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹166.99 lakhs.

(जा) मुख्य शीर्ष “5053” – “विमानपत्तन – एयरोड्रोम – पोर्ट ब्लयेर विमान पत्तन का निर्माण” – ₹707.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹706.19 लाख था।

(H) Major Head “5053” - “Air Ports - Aerodromes - Construction of Port Blair Air Port” - ₹707.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹706.19 lakhs.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹63.39 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹63.39 lakhs occurred constituting 42 percent of the sanctioned provision.